न्यायालय संभागीय आयुक्त, मुकाम सीकर

अपील संख्या 12/2023

राजेन्द्र कुमार पुत्र जीवणराम जाति पुरोहित निवासी ग्राम समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर

—:अपीलान्ट:—

बनाम

1. अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, सर्किट हाउस के पास जयपुर रोड़ सीकर
2. सचिव नगर सुधार न्यास सर्किट हाउस के पास जयपुर रोड़ सीकर

—:रेस्पोडेन्ट्स:—

उपस्थितिः—

1. श्री सुशील कुमार शर्मा, श्री सुरेश कुमार सैनी अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, रेस्पोडेन्टस की ओर से।
3. श्री हुक्म सिंह, रेस्पोडेन्टस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—04.10.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील सचिव नगर सुधार न्यास सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2021 व आदेश दिनांक 14.10.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90ए के तहत प्रस्तुत कि गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की कृषि आराजियात खसरा नं0 907/266, 912/780, 913/780, 914/780 कुल किता 4 वाके ग्राम समर्थनपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि आराजियात पर अपीलान्ट अपनी काश्त निरन्तर करता चला आ रहा है किन्तु रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 ने बिना अपीलान्ट को सूचना दिये अपीलान्ट की खातेदारी व काश्तकारी की उक्त वर्णित कृषि आराजियात का नामान्तरकरण नगर सुधार न्यास सीकर के नाम से दर्ज कर 90ए संस्था की कार्यवाही करदी गई। अपीलान्ट लगातार अपनी कृषि भूमि को काश्त कर अपनी व अपने परिवार की आजीविका अर्जित करता चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर आराजियात काश्त होकर फसल मौके पर खड़ी है। रेस्पोडेन्टस 1 व 2 ने अपने ही विवेक से आराजी को आबादी के नजदीक मानते हुये तथा बिना मौके की जांच किये 90 ए की कार्यवाही की है जो कार्यवाही किसी

संभागीय आयुक्त
सीकर

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय संभागीय आयुक्त
सीकर (राज.)

भी अनुरूप स्थिर रहने योग्य नही अपितु निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टस ने किसी प्रकार की सूचना नोटिस अपीलान्ट को जारी नही किया, अपीलान्ट ने जमाबन्दी की नकल हासिल की तो रेस्पोडेन्टस की उक्त कार्यवाही का ज्ञान हुआ, इससे पूर्व 90 ए की कार्यवाही बाबत कोई जानकारी अपीलान्ट को नही थी, जानकारी होते ही अपील अविलम्ब अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ रेस्पोडेन्टस द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर अपीलान्ट की आराजी को पूर्व की भांति अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी में मान्य की जावें।

रेस्पोडेन्टस की ओर से अपील का जवाब पेश किया। जिसके अनुसार अपीलान्ट की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 907/266, 912/780, 913/780 व 914/780 कुंल किता 4 वाके ग्राम समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर, में स्थित होना स्वीकार है। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 01.09.2021 को दैनिक समाचार पत्र में अपीलान्टस की उक्त आराजी भूमि की 90ए करने के संबंध में विज्ञप्ति जारी करने का कथन किया है जो दस्तावेजी आधार पर स्वीकार है। तयसमयावधि उपरान्त आंशिक भाग पर अकृषि कार्य होने से खातेदारी अधिकारों के निर्वापन एवं बेदखली हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के विपरीत होने के कारण खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90ए(5)(8) सपठित धारा 91 के अधीन बनाये गये नियमों एवं उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 13(5) के तहत निर्वापित भूमि की किस्म मास्टर प्लान 2031 के अनुसार गै. मु . आवासीय दर्ज करते हुये भूमि नगर विकास न्यास, सीकर के नाम दर्ज किये जाने का आदेश क्रमांक नविन्या/राजस्व/4729 दिनांक 14.10.2023 को पारित किया गया। विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित खसरा/योजना/भू–भाग में दिनांक 31.12.2021 तक 10 प्रतिशत रहवास/निर्माण होने पर ही ले–आउट बनाकर नियमन की कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्तावित स्थल पर उक्त पात्रता नहीं होने से ले–आउट बनाकर नियमन नही किया जा सकता है।

बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। नगर सुधार न्यास ने आदेश दिनांक 14.10.2021 द्वारा कृषि भूमि खसरा नं0 907/266, 912/780, 913/780 व 914/780 पर 90ए की कार्यवाही कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहीर है कि 90ए की कार्यवाही से पूर्व मौका रिपोर्ट नहीं ली गयी। गिरदावरी संवत 2075 में विवादित आराजी के पुराने खसरा नं0 780/265 में गेंहू की फसल

न्यायालय संभागीय आयुक्त सीकर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय संभागीय आयुक्त
सीकर (राज.)

संभागीय आयुक्त
सीकर

काश्त तथा खसरा नं0 266/520 पड़त अंकित है जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी (सचिव) नगर सुधार न्यास सीकर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त आराजी के मौके कि जांच नही कि गई। रेस्पोडेन्टस ने अपने जवाब के बिन्दू सं0 3 में कथन किया है कि विभागीय निर्देशो के अनुसार प्रस्तावित खसरा/योजना/भू–भाग में दिनांक 31.12.2023 तक 10 प्रतिशत रहवास/निर्माण होने पर ही ले–आउट बनाकर नियमन की कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्तावित स्थल पर उक्त पात्रता नहीं होने से ले आउट बनाकर नियमन नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी (सचिव) नगर सुधार न्यास सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक न.वि.न्या/राजस्व/2021/4925 दिनांक 31.12.2021 व आदेश क्रमांक न.वि.न्या/राजस्व/2021 दिनांक 14.10.2021 को अपीलांट की आराजी कि हद तक निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट की आराजी नामांतरण वापस अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने की कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

4/10/2023

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त
सीकर

निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
सीकर

न्यायालय संभागीय आयुक्त सीकर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय संभागीय आयुक्त
सीकर (राज.)